

Declaration Cum Terms and Conditions of Loan/Overdraft facility Collateralized by Gold

सोने के बदले ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा हेतु घोषणा तथा नियम एवं शर्तें

I hereby agree to abide by the following terms and conditions.

मैं इसके द्वारा निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

1. That all particulars / information given in this Form are true and complete and no material information has been suppressed / withheld. That the Lender shall have no liability for any consequences arising out of any erroneous details provided by the Borrower.

इस फॉर्म में दी गई सभी जानकारी/विवरण सत्य और पूर्ण हैं, और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई या रोकी नहीं गई है। उधारकर्ता द्वारा दी गई किसी भी गलत जानकारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए ऋणदाता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

2. That the Lender shall accept as collateral (a) gold jewellery/ornaments with purity between 18 to 22 karats, with a minimum gross weight of 1 (one) gram per item tendered; and (b) gold coins issued by Indian Banks, subject to an aggregate cap of 50 (fifty) grams of gold coins per Borrower across all facilities availed with the Lender.

कि ऋणदाता निम्नलिखित को संपादित के रूप में स्वीकार करेगा: (ए) 18 से 22 कैरेट की शुद्धता वाले सोने के आभूषण/गहने, जिनका न्यूनतम सकल वजन प्रस्तुत की गई प्रत्येक वस्तु के लिए 1 (एक) ग्राम हो; और (इ) भारतीय बैंकों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के, बशर्ते कि ऋणदाता से प्राप्त सभी सुविधाओं को मिलाकर, प्रति ऋणग्राही सोने के सिक्कों की कुल सीमा 50 (पचास) ग्राम से अधिक न हो।

3. That the Borrower is the owner and is in possession of the Gold for which the Borrower has created a first and exclusive charge by way of pledge in favour of the Lender during the tenor of the loan / overdraft facility as per the terms and no other person/entity will claim the ownership of the said security other than the Borrower who signed the Form.

यह कि उधारकर्ता उस सोने का स्वामी है और वह उसके कब्जे में है, जिसके लिए उधारकर्ता ने ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि के दौरान, शर्तों के अनुसार, ऋणदाता के पक्ष में गिरवी के रूप में एक प्रथम और अनन्य प्रभार सृजित किया है; और उक्त प्रतिभूति के स्वामित्व का दावा, उस उधारकर्ता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति/संस्था नहीं करेगा जिसने फॉर्म पर हस्ताक्षर किए हैं।

4. That on the basis of the value of the said pledge as set out in the valuation report supplied by the empanelled assayer of the Lender, the Lender would provide such loan/overdraft amount as per the eligibility and as per the Lenders internal policy.

यह कि ऋणदाता के पैनल में शामिल मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट में बताए गए उक्त गिरवी रखी गई वस्तु के मूल्य के आधार पर, ऋणदाता पात्रता के अनुसार और ऋणदाता की आंतरिक नीति के अनुसार ऋण/ओवरड्राफ्ट की राशि प्रदान करेगा।

5. That only gold component of the pledged articles (if any) shall be considered for any valuation purposes and Lender will not consider the value of stone or diamond embedded in jewellery/ornaments at any time including at the time of loss replacement.

गिरवी रखी गई वस्तुओं (यदि कोई हों) के मूल्यांकन के लिए केवल उनमें मौजूद सोने के हिस्से पर ही विचार किया जाएगा; और ऋणदाता, किसी भी समयकृजिसमें वस्तु के खो जाने पर उसकी भरपाई का समय भी शामिल है आभूषणों या गहनों में जड़े हुए पत्थरों या हीरों के मूल्य पर विचार नहीं करेगा।

6. That if subsequent to the pledge, the Gold is found to be fake or spurious or of lesser purity during audit or otherwise, or stolen, the Lender reserves the right to initiate appropriate investigation/criminal action as deemed fit. On account of this if any loss is incurred by the Lender, the Borrower shall be solely liable and responsible for the same. Without prejudice to the Lender's other rights, during any audit or otherwise, it is found that the pledged Gold is of lower purity and/or lower net weight than recorded, the Lender may raise a margin call for the shortfall, and the Borrower shall be liable to pay such margin forthwith on demand. The purity and net weight ascertained shall be final and binding for determining eligibility and amounts for any renewal and/or top-up.

कि यदि गिरवी रखने के बाद, ऑडिट के दौरान या किसी अन्य तरीके से, सोना नकली, जाली, कम शुद्धता वाला या चोरी का पाया जाता है, तो ऋणदाता को उचित जाँच/आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा वह उचित समझे। इसके कारण यदि ऋणदाता को कोई नुकसान होता है, तो उसके लिए केवल ऋणग्राही ही पूरी तरह से उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा। ऋणदाता के अन्य अधिकारों पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, यदि किसी ऑडिट या अन्य जाँच के दौरान यह पाया जाता है कि गिरवी रखा गया सोना दर्ज की गई शुद्धता और/या दर्ज किए गए शुद्ध वजन से कम है, तो ऋणदाता इस कमी के लिए 'मार्जिन कॉल' (अतिरिक्त राशि की माँग) कर सकता है, और ऋणग्राही माँग किए जाने पर तत्काल वह मार्जिन चुकाने के लिए बाध्य होगा। निर्धारित की गई शुद्धता और शुद्ध वजन ही किसी भी नवीनीकरण और/या 'टॉप-अप' (अतिरिक्त ऋण) के लिए पात्रता और राशि निर्धारित करने हेतु अंतिम और बाध्यकारी माने जाएँगे।

7. That the Lender can carry out such credit checks/credit bureau checks/background / residence / office verifications and at such time as it may deem necessary either directly or through a third party.

कि ऋणदाता, जब भी उसे आवश्यक प्रतीत हो, ऐसे क्रेडिट चेक/क्रेडिट ब्यूरो चेक/पृष्ठभूमि/निवास/कार्यालय सत्यापन, चाहे सीधे तौर पर या किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से, करवा सकता है।

8. That the borrower shall utilize the loan / overdraft facility solely for the purpose stated in the application form, which is valid, and shall not use it for:

यह कि उधारकर्ता ऋण / ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग केवल आवेदन पत्र में बताए गए उद्देश्य के लिए करेगा, जो कि वैध है, और इसका उपयोग निम्नलिखित के लिए नहीं करेगा:

- any other speculative, unlawful, illegal, or anti-social purpose.
कोई अन्य सट्टापूर्ण, गैर-कानूनी, अवैध या असामाजिक उद्देश्य
- Investment in capital markets or equity-oriented instruments and purchase of land, primary gold, gold bullion, gold jewellery, gold coins, units of Gold Exchange Traded Funds (ETF) & units of Gold Mutual Funds.

पूँजी बाजारों या इक्विटी-उन्मुख साधनों में निवेश, और जमीन, प्राथमिक सोना, सोने की सिल्लियाँ, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ई.टी.एफ.) की यूनिटें और गोल्ड म्यूचुअल फंड की यूनिटें खरीदना।

9. That the Lender shall disclose such required information/documents to any statutory, quasi-judicial, regulatory authorities as may be required by the Lender. The Borrower waives the privilege of privacy and privity of contract in such cases.

यह कि ऋणदाता, किसी भी वैधानिक, अर्ध-न्यायिक या विनियामक प्राधिकरण को ऐसी आवश्यक जानकारी/दस्तावेजों का खुलासा कर सकेगा, जैसा कि ऋणदाता के लिए आवश्यक हो। ऐसे मामलों में, ऋणग्राही गोपनीयता के विशेषाधिकार और संविदा की गोपनीयता के अधिकार का त्याग करता है।

10. That the Lender shall disburse the loan / create an overdraft facility to/for the Borrower as a lump sum amount in a single tranche or in suitable tranches depending upon the needs of the Borrower, against pledge of Gold based on certain representations as mentioned under this facility by the Borrower to the Lender.

यह कि ऋणदाता, ऋण लेने वाले की जरूरतों के आधार पर, उसे एकमुश्त राशि के रूप में (एक ही बार में) या उपयुक्त किस्तों में ऋण वितरित करेगा / ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध कराएगा; यह सुविधा सोने को गिरवी रखने के बदले दी जाएगी, और यह सब ऋण लेने वाले द्वारा ऋणदाता को इस सुविधा के तहत किए गए कुछ विशेष कथनों पर आधारित होगा।

11. That the rate of Interest shall be calculated for the principal outstanding amount to be payable by the Borrower. Interest on the Loan will begin to accrue from the date of first disbursement of the loan / creation of an overdraft facility of the Loan.

ब्याज दर की गणना, उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली बकाया मूल राशि पर की जाएगी। ऋण पर ब्याज की गणना, ऋण की पहली किस्त के वितरण की तारीख / ऋण के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू होने की तारीख से शुरू होगी।

12. That the Penal charge shall mean a charge which will start accruing on any amount which remains outstanding and payable by the Borrower to the Lender as per this Application Form, whether the amount is the principal amount of the loan / overdraft facility, or the interest payable or any other dues and such accrual shall commence from the date of default.

कि 'पेनल चार्ज' का अर्थ एक ऐसा चार्ज होगा जो उस किसी भी राशि पर लगना शुरू हो जाएगा जो इस एप्लीकेशन फॉर्म के अनुसार, उधार लेने वाले द्वारा उधार देने वाले को बकाया और देय रहती है; चाहे वह राशि लोन / ओवरड्राफ्ट सुविधा की मूल राशि हो, या देय ब्याज हो, या कोई अन्य बकाया हो; और यह चार्ज लगना डिफॉल्ट की तारीख से शुरू होगा।

13. That the rate of interest being offered is linked to MCLR/10-year government security yield plus applicable margin depending on the product chosen for disbursement by the Borrower.

कि दी जा रही ब्याज दर डब्ल्यू/10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति यील्ड से जुड़ी है, जिसमें उधारकर्ता द्वारा संवितरण के लिए चुने गए उत्पाद के आधार पर लागू मार्जिन भी शामिल है।

14. That unless otherwise agreed by the Lender, in case if any amount is prepaid by the borrower when he avails a Bullet loan/Monthly Interest payment loan/Overdraft facility, the same shall be adjusted first towards the principal, then towards interest and then towards any charges that are due from the customer and in case if any amount is paid after the due date the same shall be first adjusted towards due interest and then principal outstanding and then other charges.

कि जब तक ऋणदाता द्वारा अन्यथा सहमति न दी गई हो, यदि ऋण लेने वाला बुलेट ऋण/मासिक ब्याज भुगतान ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाते समय कोई राशि पहले ही चुका देता है, तो उस राशि को सबसे पहले मूलधन के प्रति, फिर ब्याज के प्रति, और उसके बाद ग्राहक पर बकाया किसी भी अन्य शुल्क के प्रति समायोजित किया जाएगा; और यदि कोई राशि नियत तिथि के बाद चुकाई जाती है, तो उसे सबसे पहले बकाया ब्याज के प्रति, फिर बकाया मूलधन के प्रति, और उसके बाद अन्य शुल्कों के प्रति समायोजित किया जाएगा।

15. That the borrower shall pay on the respective due dates in full and all other amounts payable under this facility without any demur, protest or default and without claiming any set-off or counter claim on the respective due dates. Failure to send notice, reminder or intimation by the Lender to the Borrower however does not preclude the Borrower from his liability of payment of interest and other dues on the facility availed.

कि उधारकर्ता इस सुविधा के तहत देय सभी अन्य राशियों का भुगतान, बिना किसी आपत्ति, विरोध या चूक के, और बिना किसी सेट-ऑफ या प्रति-दावे के, संबंधित नियत तारीखों पर पूरी तरह से करेगा। हालाँकि, उधारदाता द्वारा उधारकर्ता को नोटिस, रिमाइंडर या सूचना भेजने में विफलता, उधारकर्ता को इस सुविधा पर लिए गए ब्याज और अन्य बकाया राशियों के भुगतान की उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती है।

16. That the Borrower shall repay the dues and overdue of the Loan/overdraft amount in the mode suggested by the Lender at the place as agreed between the Parties which can be office of the Lender. The term dues means and includes the principal/interest/charges levied on the loan account and which are payable with the period as stipulated in the Sanction Letter and the term overdue means penal charge levied on the facility the dues for which have not been paid on the due date. Upon full repayment/ settlement of all dues of the Loan/overdraft amount, the Lender shall return the pledged Gold to the Borrower/ legal heir(s) within a maximum of seven (7) working days from the date of such repayment/ settlement, after verification of the pledged Gold against the assaying certificate.

कि उधारकर्ता, ऋण/ओवरड्राफ्ट राशि की बकाया और अतिदेय राशि का भुगतान, ऋणदाता द्वारा सुझाए गए तरीके से और पक्षों के बीच सहमत स्थान पर करेगा, जो ऋणदाता का कार्यालय हो सकता है। 'बकाया' शब्द का अर्थ है और इसमें ऋण खाते पर लगाए गए मूलधन/ब्याज/शुल्क शामिल हैं, जिनका भुगतान स्वीकृति पत्र में निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना है; और 'अतिदेय' शब्द का अर्थ है उस सुविधा पर लगाया गया दंडात्मक शुल्क, जिसकी बकाया राशि का भुगतान नियत तिथि पर नहीं किया गया है। ऋण/ओवरड्राफ्ट राशि की सभी बकाया राशियों के पूर्ण पुनर्भुगतान/निपटान के बाद, ऋणदाता, गिरवी रखे गए सोने का परख प्रमाण पत्र के साथ सत्यापन करने के उपरांत, ऐसे पुनर्भुगतान/निपटान की तारीख से अधिकतम सात (7) कार्य दिवसों के भीतर, गिरवी रखा गया सोना उधारकर्ता/उसके कानूनी वारिसों को लौटा देगा।

17. That the security created herein shall also be security for all other monies that may be due and payable by the Borrower to the Lender, on any account whatsoever, whether present or future, including any liability of the Borrower as a surety either singly or along with any other person. The Lender may any time and without notice to the Borrower, combine or consolidate all or any of the Borrowers accounts with any liabilities to the Lender and set off or transfer any sum or sums standing to the credit of any one or more of such accounts in or towards satisfaction of any of the Borrowers liabilities to Lender on any other account or in any other respect, whether such liabilities be actual or contingent.

कि यहाँ बनाई गई सिक्योरिटी, उचिततवमत द्वारा स्मदकमत को किसी भी कारण से, चाहे वह वर्तमान हो या भविष्य का, देय और भुगतान योग्य अन्य सभी राशियों के लिए भी सिक्योरिटी होगी; इसमें उधार लेने वाले की एक जमानतदार के तौर पर कोई भी देनदारी शामिल है, चाहे वह अकेले हो या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर। ऋणदाता किसी भी समय और उधार लेने वाले को बिना कोई सूचना दिए, उधार लेने वाले के सभी या किसी भी खाते को उधार लेने वाले के प्रति उसकी किसी भी देनदारी के साथ मिला या जोड़ सकता है; और ऐसे किसी एक या अधिक खातों में जमा किसी भी राशि को, किसी अन्य खाते या किसी अन्य संबंध में ऋणदाता के प्रति उधार लेने वाले की किसी भी देनदारी को चुकाने के लिए इस्तेमाल या ट्रांसफर कर सकता है, चाहे ऐसी देनदारियाँ वास्तविक हों या आकस्मिक।

18. That the Lender shall have the right to create charge over the pledged security of the Borrower, in favor of any bank, institution or body by way of security for any refinance facility or any loan availed by the Lender from such bank, institution or body.

कि ऋणदाता को यह अधिकार होगा कि वह उधारकर्ता की गिरवी रखी गई प्रतिभूति पर, किसी भी बैंक, संस्था या निकाय के पक्ष में, किसी भी पुनर्वित्त सुविधा या ऐसे बैंक, संस्था या निकाय से ऋणदाता द्वारा लिए गए किसी भी ऋण की प्रतिभूति के रूप में, प्रभार सृजित कर सके।

19. That the Lender reserves the right to assign/sell/securitize the Loan with or without security, if any, in any manner by transferring and/or assigning or

otherwise all its right, title and interest which the Lender deems appropriate and the Borrower hereby expressly agrees that in that event, the Lender is not required to obtain any permission or put any notice to the Borrower. The Borrower shall accept any such securitization and any such sale, assignment, or transfer and the Borrower shall accept such other party (s) as creditors exclusively or as a joint creditor with the Lender, or as a creditor exclusively with the right of Lender to continue to exercise all powers hereunder on behalf of any such other party.

कि ऋणदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह इस ऋण को, चाहे उसके साथ कोई सुरक्षा हो या न हो, किसी भी तरीके से जैसे कि अपने सभी अधिकार, हक और हित किसी अन्य को हस्तांतरित करके, सौंपकर या किसी अन्य विधि से किसी अन्य पक्ष को सौंप सकता है, बेच सकता है या उसका प्रतिभूतीकरण कर सकता है; और ऋणग्राही एतद्वारा स्पष्ट रूप से सहमत है कि ऐसी स्थिति में, ऋणदाता को ऋणग्राही से कोई अनुमति लेने या उसे कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी। ऋणग्राही ऐसे किसी भी प्रतिभूतीकरण, बिक्री, हस्तांतरण या सौंपे जाने को स्वीकार करेगा; और ऋणग्राही ऐसे अन्य पक्ष (या पक्षों) को या तो विशेष रूप से अपने लेनदार के रूप में, या ऋणदाता के साथ संयुक्त लेनदार के रूप में, अथवा ऐसे लेनदार के रूप में स्वीकार करेगा जिसके लिए ऋणदाता को, इस अनुबंध के तहत प्राप्त अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग ऐसे अन्य पक्ष की ओर से जारी रखने का अधिकार प्राप्त हो।

20. That the Borrower shall ensure that at all times aggregate amounts outstanding under this facility is as per the guidelines of the sanctioned facility or such other percentage as stipulated by Lender from time to time ("Margin") and if the value of the Pledged Articles is less than the Margin requirements, the Lender may demand creation of additional security or repayment of loan/outstanding overdraft amount in part or in full. The Borrower shall promptly upon such demand comply with the requirement. Additionally, if there exists any circumstance which may materially affect the ability of Borrower to fulfil its obligations under this facility, the Lender may sell the Gold in public auction at any time by following the due process of law, even before the expiry of the tenure of the said facility.

कर्जदार यह सुनिश्चित करेगा कि इस सुविधा के तहत हर समय बकाया कुल राशि, स्वीकृत सुविधा के दिशानिर्देशों के अनुसार हो, या समय-समय पर ऋणदाता द्वारा निर्धारित किसी अन्य प्रतिशत ("मार्जिन") के अनुसार हो; और यदि गिरवी रखी गई चीजों का मूल्य मार्जिन की ज़रूरतों से कम हो, तो ऋणदाता अतिरिक्त सुरक्षा देने की, या ऋण/बकाया ओवरड्राफ्ट राशि का कुछ हिस्सा या पूरी राशि चुकाने की मांग कर सकता है। ऐसी मांग किए जाने पर, कर्जदार तुरंत उस ज़रूरत को पूरा करेगा। इसके अलावा, यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे इस सुविधा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की कर्जदार की क्षमता पर काफी असर पड़ सकता है, तो ऋणदाता, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, किसी भी समय सार्वजनिक नीलामी में सोना बेच सकता है/कृपया ध्यान दें कि ऋणग्राही की अवधि अभी समाप्त न हुई हो।

21. That the Lender may, without assigning any reason and upon notice in writing to the Borrower, cancel in full or in part the Loan/overdraft facility and demand repayment thereof in case of an event of default. Upon such notice, all dues including outstanding Loan/utilized overdraft facility along with interest and any other charges, shall become forthwith due and payable by the Borrower to Lender and the failure of which will trigger the auction of the ornaments pledged. The following events shall constitute events of default under this facility ("Events of Default"):

कि ऋणदाता, बिना कोई कारण बताए और ऋणग्राही को लिखित सूचना देकर, किसी भी चूक की स्थिति में ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा को पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द कर सकता है और उसकी वापसी की मांग कर सकता है। ऐसी सूचना मिलने पर, सभी बकाया राशियाँ जिनमें बकाया ऋण/उपयोग की गई ओवरड्राफ्ट सुविधा, उस पर लगने वाला ब्याज और कोई अन्य शुल्क शामिल हैं/कृतकाल ऋणग्राही द्वारा ऋणदाता को देय

हो जाएगी; और यदि ऋणग्राही ऐसा करने में विफल रहता है, तो गिरवी रखे गए आभूषणों की नीलामी कर दी जाएगी। इस सुविधा के तहत, निम्नलिखित स्थितियाँ 'चूक की स्थितियाँ' मानी जाएँगी:

- i. If the loan and/or Interest and any other charges, expenses, costs which are to be paid as per the terms mentioned herein are not paid on their respective due dates/maturity date. The Bank shall immediately recognize the incipient stress in loan accounts immediately on occurrence of an event of default by classifying them as Special Mention Accounts (SMA). If dues are not paid on due date and upto 30 days from the maturity date, it will be classified as SMA 0, for dues not paid from 31days to 60 days, it will be classified as SMA 1 and for dues not paid from 61 days to 90 days, it will be classified as SMA 2. Additionally, if dues are not paid on the 91st day or beyond, all loan accounts held by the customer whether due or not due will be classified as Non-Performing Asset (NPA).
यदि लोन और/या ब्याज और कोई अन्य शुल्क, खर्च, लागतें, जिनका भुगतान यहाँ बताई गई शर्तों के अनुसार किया जाना है, अपनी-अपनी तय तारीखों/मैच्योरिटी की तारीख पर नहीं चुकाए जाते हैं, तो बैंक, डिफॉल्ट की घटना होते ही, लोन खातों में शुरुआती तनाव को तुरंत पहचान लेगा और उन्हें 'स्पेशल मेंशन अकाउंट्स' (एस.एम.ए) के तौर पर वर्गीकृत कर देगा। यदि बकाया राशि तय तारीख पर और मैच्योरिटी की तारीख से 30 दिनों तक नहीं चुकाई जाती है, तो इसे एस.एम.ए 0 के तौर पर वर्गीकृत किया जाएगा; 31 दिनों से 60 दिनों तक बकाया न चुकाए जाने पर इसे एस.एम.ए 1 के तौर पर वर्गीकृत किया जाएगा; और 61 दिनों से 90 दिनों तक बकाया न चुकाए जाने पर इसे एस.एम.ए 2 के तौर पर वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अलावा, यदि बकाया राशि 91वें दिन या उसके बाद भी नहीं चुकाई जाती है, तो ग्राहक के सभी लोन खातों को कृचाहे वे बकाया हों या न हों 'नॉन-परफॉर्मिंग एसेट' (एन.पी.ए.) के तौर पर वर्गीकृत कर दिया जाएगा।
- ii. If any representations or statements or particulars made in the Form for the Loan/overdraft facility is found to be false, misleading or incorrect;
यदि ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए फॉर्म में किए गए कोई भी अभ्यावेदन, कथन या विवरण असत्य, भ्रामक या गलत पाए जाते हैं;
- iii. Upon detection of any systemic fraud in relation to the quality of the gold pledged by the Borrower with the Lender;
उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता के पास गिरवी रखे गए सोने की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी प्रकार की प्रणालीगत धोखाधड़ी का पता चलने पर;
- iv. If the value of the gold security falls lower than the required margin of the Lender as applicable from time to time, due to change in market price or any other reason;
यदि बाजार मूल्य में परिवर्तन या किसी अन्य कारण से, स्वर्ण प्रतिभूति का मूल्य ऋणदाता के लिए समय-समय पर लागू अपेक्षित मार्जिन से नीचे गिर जाता है;
- v. If the security pledged is found to be of inferior quality or if found to be spurious or if the net weight is lower than recorded (irrespective of whether such finding arises from an audit or otherwise).
यदि गिरवी रखी गई सिक्कोरिटी घटिया क्वालिटी की पाई जाती है, या नकली पाई जाती है, या यदि उसका शुद्ध वजन रिकॉर्ड किए गए वजन से कम पाया जाता है (भले ही यह बात ऑडिट से पता चली हो या किसी और तरीके से)।
- vi. In the event of insolvency, failure in business, commission of an act of bankruptcy by the Borrower and in the event there is a reasonable apprehension that the Borrower would become the subject of proceedings under any bankruptcy or insolvency law;
दिवालियापन, व्यवसाय में विफलता, उधारकर्ता द्वारा दिवालियापन का कोई कार्य किए जाने की स्थिति में, और यदि ऐसी कोई उचित आशंका हो कि उधारकर्ता किसी दिवालियापन या शोधन-अक्षमता कानून के तहत कार्यवाही का विषय बन सकता है;
- vii. The security pledged and/or to be pledged with the Lender, for the Loan/overdraft facility is in jeopardy or ceases to have effect;

ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए ऋणदाता के पास गिरवी रखी गई और/या रखी जाने वाली प्रतिभूति खतरे में है, या उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है;

22. That in case of any of the Events of Default, the Lender shall have the right to take any of the following step(s):

कि किसी भी 'डिफॉल्ट की घटना' की स्थिति में, ऋणदाता को निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठाने का अधिकार होगा:

i. To call upon the Borrower to pay forthwith the outstanding balance of the Loan/overdraft facility along with interest / penal charge thereon and all sums payable by the Borrower as per the terms of the facility;

ऋण लेने वाले से यह मांग करना कि वह ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा की बकाया राशि, उस पर लगने वाले ब्याज/जुर्माना शुल्क, और सुविधा की शर्तों के अनुसार ऋण लेने वाले द्वारा देय अन्य सभी राशियों का भुगतान तत्काल करे;

ii. To call upon the Borrower to pay all claims, costs, losses and expenses, etc that may be incurred by the Lender as a result of any act or default on the part of the Borrower with respect to the Loan/overdraft facility and/or for the recovery of the outstanding dues (including legal/attorney fees) and/or on account of failure of the Borrower to fulfil any of the terms and conditions under the facility;

ऋण लेने वाले से यह मांग करना कि वह उन सभी दावों, लागतों, हानियों और खर्चों आदि का भुगतान करे, जो ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा के संबंध में ऋण लेने वाले की ओर से किसी भी कार्य या चूक के परिणामस्वरूप, और/या बकाया राशियों की वसूली के लिए (जिसमें कानूनी/अटॉर्नी शुल्क शामिल हैं), और/या इस सुविधा के तहत किसी भी नियम और शर्त को पूरा करने में ऋण लेने वाले की विफलता के कारण ऋण देने वाले को उठाने पड़ सकते हैं;

iii. To sell the Gold Security in the open market by auction or by any other means as permissible under applicable laws. The auction shall be conducted by the Lender in compliance with the applicable law, by giving public notification of auction / advertisement and in compliance with the guidelines issued by RBI from time to time, after giving the Borrower a notice in writing of -7- (Seven) days which the Borrower agrees is a reasonable period for the purposes of Section 176 of the Contract, 1872. Additionally, in the event the Borrower's account is classified as Non- Performing Asset (NPA), the Lender shall provide adequate prior notice to the Borrower/legal heir(s) and publish public auction advertisements at least thirty (30) days before the auction date in two newspapers, i.e., one in English and one in a vernacular/regional language prevalent in the town/taluka/district where the Gold was pledged. The first auction shall be conducted in the same district as the lending branch of the Lender. If the first auction fails, a subsequent auction may be conducted in an adjoining district or a centralised venue as per Lender's policy. The auction notice and details of the same shall also be displayed at the lending branch of the Lender.

गोल्ड सिक्योरिटी को खुले बाजार में नीलामी के ज़रिए या लागू कानूनों के तहत मंजूर किसी अन्य तरीके से बेचना। नीलामी, लागू कानून का पालन करते हुए, नीलामी की सार्वजनिक सूचना/विज्ञापन देकर और आर.बी.आई. द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, ऋणदाता द्वारा आयोजित की जाएगी; यह सब उधार लेने वाले को -7- (सात) दिनों का लिखित नोटिस देने के बाद किया जाएगा, जिसे उधार लेने वाले संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 176 के उद्देश्यों के लिए एक उचित अवधि मानता है। इसके अलावा, यदि उधार लेने वाले का खाता गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो ऋणदाता, उधारकर्ता/कानूनी वारिसों को पर्याप्त पूर्व सूचना देगा और नीलामी की तारीख से कम से कम तीस (30) दिन पहले दो समाचार पत्रों में सार्वजनिक नीलामी के विज्ञापन प्रकाशित करेगा, यानी, एक अंग्रेजी में और एक उस शहर/तालुका/जिले में प्रचलित स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा में, जहाँ गोल्ड गिरवी रखा गया था। पहली नीलामी

उसी जिले में आयोजित की जाएगी जहाँ उधार लेने वाले की ऋण शाखा स्थित है। यदि पहली नीलामी असफल रहती है, तो स्मदकमत की नीति के अनुसार, अगली नीलामी किसी पड़ोसी जिले या किसी केंद्रीय स्थान पर आयोजित की जा सकती है। नीलामी का नोटिस और उससे संबंधित विवरण ऋणदाता की ऋण शाखा पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

The proceeds so realized from the sale of the pledged articles shall be utilized towards the repayment of dues under the Loan/overdraft facility. Such sale made by the Bank cannot be disputed by the Borrower in any manner whatsoever and the bank will not be liable for any loss which may be incurred by the Borrower on such sale. In the event that the proceeds so realized are insufficient to meet the amount of dues, then the Borrower will be personally liable to make good the deficit and the Lender reserves its right to take further action for loss recovery. If the net auction proceeds exceed the total dues payable by the Borrower a(including all applicable costs and charges), the surplus shall be transferred by the Lender/ Bank to the Borrower's bank account with the Lender or any other bank account of the Borrower within seven (7) working days from the date of receipt of the full auction proceeds. Where the Borrower does not maintain a CASA with the Lender, any surplus shall be credited through the Aadhaar Payments Bridge System (APBS/ABPS) subject to the Borrower's written request/ consent and successful Aadhaar mapping, or to (i) the account used for initial disbursement, or (ii) another bank account of the Borrower notified to the Lender by a written request or by an email sent from the Borrower's registered email ID with the Bank (subject to KYC verification). If an electronic credit (including NEFT/IMPS/RTGS/ABPS) of the surplus fails or is rejected for any reason, the Lender shall issue an Account-Payee Demand Draft along with the post-sale letter and dispatch it to the Borrower's registered address as per the loan documents/KYC records, after due identity verification.;

गिरवी रखी गई चीजों की बिक्री से जो रकम मिलेगी, उसका इस्तेमाल लोन/ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत बकाया चुकाने के लिए किया जाएगा। बैंक द्वारा की गई ऐसी बिक्री पर कर्जदार किसी भी तरह से कोई विवाद नहीं कर सकता, और ऐसी बिक्री पर कर्जदार को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। अगर बिक्री से मिली रकम बकाया चुकाने के लिए काफी नहीं होती है, तो कर्जदार उस कमी को पूरा करने के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार होगा, और कर्ज देने वाला नुकसान की भरपाई के लिए आगे की कार्रवाई करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। अगर नीलामी से मिली कुल रकम कर्जदार द्वारा चुकाए जाने वाले कुल बकाया (सभी लागू लागतों और शुल्कों सहित) से ज्यादा होती है, तो कर्ज देने वाला/बैंक, नीलामी की पूरी रकम मिलने की तारीख से सात (7) कामकाजी दिनों के भीतर, बची हुई रकम कर्जदार के बैंक खाते में (जो कर्ज देने वाले के पास हो या किसी अन्य बैंक में हो) ट्रांसफर कर देगा। जहाँ कर्जदार का कर्ज देने वाले के पास है। खाता नहीं है, वहाँ बची हुई रकम Aadhaar Payments Bridge System (APBS/ABPS) के ज़रिए जमा की जाएगी, बशर्ते कर्जदार ने लिखित अनुरोध/सहमति दी हो और उसका किंतु सफलतापूर्वक मैप हो गया हो; या फिर यह रकम (प) उस खाते में जमा की जाएगी जिसका इस्तेमाल शुरुआती भुगतान के लिए किया गया था, या (पप) कर्जदार के किसी अन्य बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिसके बारे में कर्जदार ने लिखित अनुरोध या बैंक में रजिस्टर्ड अपनी ईमेल प् से भेजे गए ईमेल के ज़रिए कर्ज देने वाले को सूचित किया हो (KYC सत्यापन के अधीन)। अगर बची हुई रकम का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट (जिसमें NEFT/IMPS/RTGS/ABPS शामिल हैं) किसी भी कारण से असफल हो जाता है या अस्वीकार कर दिया जाता है, तो कर्ज देने वाला बिक्री के बाद भेजे जाने वाले पत्र के साथ एक 'Account-Payee Demand Draft' जारी करेगा, और पहचान का उचित सत्यापन करने के बाद, लोन दस्तावेजों/KYC रिकॉर्ड के अनुसार कर्जदार के रजिस्टर्ड पते पर उसे भेज देगा।

- iv. The Bank may, in its sole discretion, exercise or discharge any of its rights, functions, powers or duties under the Agreement either by itself (through its officers or employees) or through its appointed third parties (including recovery agents). The Borrower confirms and expressly consents to the Bank that upon

occurrence of an Event of Default, the Bank either by itself (through its officers or employees) or through its appointed third parties (including recovery agents) to use the contact details provided by the Borrower and Guarantor to the Bank to get in touch with the Borrower/Guarantor including their authorized signatory(ies)/ representative(s) and family members and disclose them relevant details pertaining to the Loan.

बैंक, अपने एकमात्र विवेक से, इस समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार, कार्य, शक्ति या कर्तव्य का प्रयोग या निर्वहन या तो स्वयं (अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से) या अपने द्वारा नियुक्त तीसरे पक्षों (रिकवरी एजेंटों सहित) के माध्यम से कर सकता है। उधारकर्ता बैंक को यह पुष्टि करता है और स्पष्ट रूप से सहमति देता है कि, 'डिफॉल्ट की घटना' होने पर, बैंक या तो स्वयं (अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से) या अपने द्वारा नियुक्त तीसरे पक्षों (रिकवरी एजेंटों सहित) के माध्यम से, उधारकर्ता और गारंटर द्वारा बैंक को प्रदान किए गए संपर्क विवरणों का उपयोग करके उधारकर्ता/गारंटर/जिनमें उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रतिनिधि और परिवार के सदस्य शामिल हैं/कृपया संपर्क कर सकता है, और उन्हें ऋण से संबंधित प्रासंगिक विवरणों का खुलासा कर सकता है।

23. That any notice (including notice of sale of Gold security) shall be sent to the Borrower(s) address mentioned in the Application Form and may be sent through Registered Post Acknowledgment Due (RPAD); or Courier; or Hand delivery; or via email at the email address mentioned in the Application Form. Such services shall be deemed to have been served in case of delivery by hand on the date on which it is delivered and in case of delivery by RPAD / courier, post the expiry of the 7th day of such posting and in the case of email, on receiving the delivery report of the same.

कि कोई भी नोटिस (जिसमें गोल्ड सिक्योरिटी की बिक्री का नोटिस भी शामिल है) उधारकर्ता (ओं) के उस पते पर भेजा जाएगा जो आवेदन पत्र में दिया गया है, और इसे रजिस्टर्ड पोस्ट एकनॉलेजमेंट ड्यू (RPAD) के जरिए; या कूरियर से; या हाथ से देकर; या आवेदन पत्र में दिए गए ईमेल पते पर ईमेल के जरिए भेजा जा सकता है। ऐसी सूचनाएँ, हाथ से दिए जाने की स्थिति में, उसी दिन दी गई मानी जाएँगी जिस दिन वे दी गई हों, RPAD / कूरियर से भेजे जाने की स्थिति में, भेजे जाने के 7वें दिन के बाद दी गई मानी जाएँगी; और ईमेल के मामले में, उसी की डिलीवरी रिपोर्ट मिलने पर दी गई मानी जाएँगी।

24. That this Form (which constitutes an agreement) shall be governed by and construed in all respects with the Laws in India and the Parties hereby mutually agree that any matter or issues arising hereunder, or any dispute hereunder shall, at the option/discretion of the Lender, be subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of Jaipur, Rajasthan. This shall however, not limit the rights of the Lender to file/take proceedings in any other Court of Law or Tribunal of Competent Jurisdiction. The terms and conditions agreed under this facility shall be binding on the Parties on and from the date of execution hereof. It shall be in full force till the loan / overdraft facility is fully amortized/repaid along with any other amount due and payable to the Lender and fully settled under this facility as well as all other agreements, documents which may be subsisting/ executed between the Parties in this regard.

कि यह फॉर्म (जो एक एग्रीमेंट है) भारत के कानूनों के अनुसार नियंत्रित होगा और सभी मामलों में उन्हीं के अनुसार समझा जाएगा। दोनों पक्ष इस बात पर आपसी सहमति जताते हैं कि इस एग्रीमेंट से जुड़ा कोई भी मामला या मुद्दा, या कोई भी विवाद, स्मदकमत (ऋणदाता) के विकल्प/विवेक के अनुसार, जयपुर, राजस्थान की अदालतों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। हालाँकि, इससे स्मदकमत के किसी अन्य सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत या ट्रिब्यूनल में कानूनी कार्यवाही शुरू करने या करने के अधिकारों पर कोई रोक नहीं लगेगी। इस सुविधा के तहत जिन नियमों और शर्तों पर सहमति बनी है, वे इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने की तारीख से ही दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे। यह एग्रीमेंट तब तक पूरी तरह से लागू रहेगा, जब तक कि लोन/ओवरड्राफ्ट सुविधा का पूरा भुगतान (मूलधन और ब्याज सहित) नहीं हो जाता, साथ ही स्मदकमत को देय अन्य सभी राशियाँ

भी चुका नहीं दी जाती। यह इस सुविधा के साथ-साथ दोनों पक्षों के बीच इस संबंध में मौजूदा या भविष्य में होने वाले अन्य सभी एग्रीमेंटों और दस्तावेजों पर भी पूरी तरह से लागू रहेगा।

25. For redressal of any grievance arising out of this Agreement, the Borrower may adopt the redressal mechanism laid down in the grievance redressal policy of the Bank which is uploaded on the Bank's website www.aubank.in and/or may contact the nodal grievance redressal officer, as per the matrix and on the email/phone number provided hereunder.

इस एग्रीमेंट से जुड़ी किसी भी शिकायत के समाधान के लिए, उधारकर्ता बैंक की शिकायत निवारण नीति में बताए गए समाधान तंत्र को अपना सकता है, जो बैंक की वेबसाइट www.aubank.in पर अपलोड है; और/या नीचे दिए गए ईमेल/फोन नंबर पर, मैट्रिक्स के अनुसार, नोडल शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

26. Declaration on relationship: The Borrower declares, assures and states that, except as mentioned hereunder, the Borrower is not a director nor relative* of any director or none of its directors/ partners /members (if the Borrower is a company/partnership firm) is a director of the Bank or any other Banks including Scheduled Co-operative Banks, subsidiaries/ trustees of mutual funds/ venture capital funds and the Borrower is not a relative* or none of its directors/ partners/ members (if the Borrower is a company/ partnership firm) of any Senior Officer* of the Bank or of any other Banks *The term 'Senior Officer' means an officer of the Bank, who is in equivalent scale as an officer in senior management level in Grade IV any officer and above in a nationalised bank or any officer in equivalent scale in the State Bank of India and associate banks and in any banking company incorporated in India. *The term "relative" shall mean and include any or all of the following persons: (a) Spouse (b) Father (c) Mother (including step-mother) (d) Son (including step-son) (e) Son's Wife (f) Daughter (including step-daughter) (g) Daughter's Husband (h) Brother (including step-brother) (i) Brother's wife (j) Sister (including step-sister) (k) Sister's husband (l) Brother (including step-brother) of the spouse (m) Sister (including step-sister) of the spouse. The Borrower makes the above declaration solemnly and sincerely believing the same to be true and knowing fully well that on the faith and strength of the correctness thereof the Bank has agreed to grant the Facility. The Borrower also agrees that it is a condition of the grant of the Facilities that if any statement made with reference to the above is found to be false at any time the Bank shall at liberty and entitled to revoke the Facilities. (OR) The Borrower declares that the Borrower is related to the directors and /or Senior Officer(s) of the Bank or of any other Banks as specified hereto:

संबंधों के बारे में घोषणा: उधारकर्ता यह घोषणा, आश्वासन और कथन करता है कि, सिवाय नीचे बताए गए मामलों के, उधारकर्ता न तो कोई निदेशक है और न ही किसी निदेशक का कोई रिश्तेदार है; और न ही उसके कोई निदेशक/साझेदार/सदस्य (यदि उधारकर्ता कोई कंपनी/साझेदारी फर्म है) बैंक के या किसी अन्य बैंक के निदेशक हैकृजिनमें अनुसूचित सहकारी बैंक, म्यूचुअल फंड/वेंचर कैपिटल फंड की सहायक कंपनियाँ/ट्रस्टी शामिल हैं; और उधारकर्ता न तो बैंक के या किसी अन्य बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी का रिश्तेदार है, और न ही उसके कोई निदेशक/साझेदार/सदस्य (यदि उधारकर्ता कोई कंपनी/साझेदारी फर्म है) ऐसे किसी वरिष्ठ अधिकारी के रिश्तेदार हैं। "वरिष्ठ अधिकारी" शब्द का अर्थ बैंक का ऐसा अधिकारी है, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ग्रेड IV या उससे ऊपर के वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के अधिकारी के समकक्ष वेतनमान पर हो, या भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों में, तथा भारत में निगमित किसी भी बैंकिंग कंपनी में समकक्ष वेतनमान पर कार्यरत कोई अधिकारी हो। "रिश्तेदार" शब्द का अर्थ निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई एक या सभी व्यक्ति होंगे और इसमें वे शामिल होंगे: (ए) जीवनसाथी (बी) पिता (सी) माता (सौतेली माँ सहित) (डी) पुत्र (सौतेला पुत्र

सहित) (इ) पुत्रवधू (एफ) पुत्री (सौतेली पुत्री सहित) (जी) दामाद (एच) भाई (सौतेला भाई सहित) (आई) भाभी/भाई की पत्नी (जे) बहन (सौतेली बहन सहित) (के) बहनोई/बहन का पति (एल) जीवनसाथी का भाई (सौतेला भाई सहित) (ओ) जीवनसाथी की बहन (सौतेली बहन सहित)। उधारकर्ता उपर्युक्त घोषणा पूरी गंभीरता और ईमानदारी के साथ करता है, यह विश्वास करते हुए कि यह सत्य है, और यह भली-भांति जानते हुए कि इसी सत्यता पर विश्वास और उसके आधार पर ही बैंक ने यह सुविधा प्रदान करने पर सहमति दी है। उधारकर्ता इस बात पर भी सहमत है कि यह सुविधा प्रदान करने की एक शर्त यह है कि यदि उपर्युक्त संदर्भ में दिया गया कोई भी कथन किसी भी समय असत्य पाया जाता है, तो बैंक को यह सुविधाएँ रद्द करने का पूर्ण अधिकार और हक होगा। (अथवा) उधारकर्ता यह घोषणा करता है कि उधारकर्ता का बैंक के या किसी अन्य बैंक के निदेशकों और/अथवा वरिष्ठ अधिकारी(यों) के साथ, जैसा कि यहाँ निर्दिष्ट किया गया है, कोई संबंध है:

S.No	Name of Director (s) / Senior Officer (s)	Designation	Relationship
------	---	-------------	--------------

1

क्र. सं.	निदेशक (को) / वरिष्ठ अधिकारी (यों) का नाम	पदनाम	संबंध
----------	---	-------	-------

1

27. The Bank reserves an unconditional right to cancel the undrawn /un-availed /unused portion of the Loan sanctioned at any time during the currency of the Loan, without any notice to the borrower, for any reason whatsoever.

बैंक के पास यह बिना शर्त अधिकार सुरक्षित है कि वह ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय, उधारकर्ता को बिना कोई सूचना दिए, किसी भी कारण से, स्वीकृत ऋण के उस हिस्से को रद्द कर दे जिसे अभी तक निकाला/उपयोग नहीं किया गया है।

28. I/We confirm that I have voluntarily opted to purchase the insurance policy from Bank's Service Provider/s without any inducement, persuasion, or compulsion from the bank or its representatives. I further acknowledge that I have independently assessed the terms and conditions of the insurance policy and the decision to purchase this insurance has been made after careful consideration of my requirements.

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैंने बैंक या उसके प्रतिनिधियों की ओर से बिना किसी प्रलोभन, दबाव या जबरदस्ती के, स्वेच्छा से बैंक के सेवा प्रदाता/प्रदाताओं से बीमा पॉलिसी खरीदने का विकल्प चुना है। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि मैंने बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया है, और इस बीमा को खरीदने का निर्णय मेरी आवश्यकताओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद लिया गया है।

29. I/We hereby understand, declare, consent, and authorize the "Bank" to use personal health details and financial information, as provided to the "Bank" for underwriting the risk and shall have right to retain the aforementioned information and disseminate the same to its Service Provider(s) for providing services related to the insurance."

मैं/हम इसके द्वारा यह समझते हैं, घोषणा करते हैं, सहमति देते हैं और "बैंक" को यह अधिकार देते हैं कि वह जोखिम का आकलन (अंडरराइटिंग) करने के लिए उसे दी गई व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और वित्तीय जानकारी का उपयोग करे; और "बैंक" को यह अधिकार होगा कि वह उपर्युक्त जानकारी को अपने पास सुरक्षित रखे और बीमा से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए उसे अपने सेवा प्रदाता(ओं) के साथ साझा करे।

30. I do hereby declare that I have received a loan from AU Small Finance Bank ("Master Policy Holder"). In order to secure the said loan, I hereby agree to assign the insurance cover provided to me under the above referenced Master Policy and the Certificate of Insurance in favor of the Master Policyholder as

outstanding loan schedule to be issued by the Master Policyholder on the date of occurrence of the contingent event. I hereby agree and confirm that I shall inform my beneficiary / nominee about the existence of this assignment.

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैंने AU Small Finance Bank ("मास्टर पॉलिसी धारक") से ऋण प्राप्त किया है। उक्त ऋण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से, मैं इसके द्वारा इस बात से सहमत हूँ कि मैं ऊपर संदर्भित मास्टर पॉलिसी और बीमा का प्रमाण पत्र के तहत मुझे प्रदान किए गए बीमा कवर को मास्टर पॉलिसीधारक के पक्ष में सौंप दूँगा; यह सौंपना उस बकाया ऋण अनुसूची के अनुसार होगा जिसे मास्टर पॉलिसीधारक द्वारा किसी आकस्मिक घटना के घटित होने की तिथि पर जारी किया जाएगा। मैं इसके द्वारा इस बात से सहमत और पुष्टि करता हूँ कि मैं अपने लाभार्थी / नॉमिनी को इस सौंपने (कार्यभार) के अस्तित्व के बारे में सूचित करूँगा।

Customer Name :

ग्राहक का नाम :

Registered Office Address

पंजीकृत कार्यालय का पता

AU Small Finance Bank Limited , 19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India,
302001

ए.यू. स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, 19- धुलेश्वर गार्डन, जयपुर, राजस्थान, भारत, 302001

These Most Important and Terms and Conditions (MITC) are as agreed by the Parties mentioned hereinafter on date and place as mentioned in the Schedule.

“ये सबसे महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें (“MITC”) अनुसूची में निर्दिष्ट तिथि एवं स्थान पर, आगे उल्लिखित पक्षकारों के बीच संपादित एवं स्वीकृत की जाती हैं।”

AU Small Finance Bank Limited, a banking company incorporated under the provisions of Banking Regulation Act, and having its registered office at hereinafter referred to as the “Lender” and the term “Lender” shall include the successors, assignees, executor, administrators, legal heirs and successors in interest, unless repugnant to the context, for the “First Part” AND “Obligor” shall mean and include the person/entity whose name is referred to as Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor (details in the Schedule hereunder) in the document of which these MITCs are and shall form an integral part (“Principal Agreement”), executed/ to be executed pursuant to sanction letter details of which are provided in the Schedule hereunder (“Sanction Letter”). The Obligor and Lender are hereinafter collectively referred to as “Parties” individually referred to as “Party”

AU Small Finance Bank Limited, जो कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम (Banking Regulation Act) के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित एक बैंकिंग कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय उपर्युक्त स्थान पर स्थित है, आगे “ऋणदाता” (Lender) कहलाएगी। “ऋणदाता” शब्द में उसके उत्तराधिकारी (successors), हस्तांतरित अधिकारधारी (assignees), निष्पादक (executors), प्रशासक (administrators), कानूनी उत्तराधिकारी (legal heirs) तथा हितों के उत्तराधिकारी भी शामिल होंगे, जब तक कि संदर्भ के विपरीत न हो। यह “प्रथम पक्ष” (First Part) कहलाएगा। और “दायित्वकर्ता” (Obligor) से आशय उस व्यक्ति/संस्था से होगा जिसका नाम उधारकर्ता (Borrower), सह-उधारकर्ता (Co-Borrower) या गारंटर (Guarantor) के रूप में नीचे दी गई अनुसूची (Schedule) में उल्लिखित है। यह दस्तावेज़, जिसके ये MITCs (Most Important Terms and Conditions) अभिन्न भाग हैं, “मुख्य अनुबंध” (Principal Agreement) कहलाएगा, जिसे नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित स्वीकृति पत्र (Sanction Letter) के अनुसार निष्पादित किया गया है या किया जाना है। दायित्वकर्ता (Obligor) और ऋणदाता (Lender) को आगे सामूहिक रूप से “पक्षकार” (Parties) तथा व्यक्तिगत रूप से “पक्ष” (Party) कहा जाएगा।

1. Whereas the Obligor is desirous of availing/ has availed the loan/ facility or providing/ has provided security for the loan/facility to be availed/ availed by the Obligor or providing/ has provided guarantee to secure the loan/facility to be availed/ availed by the Obligor from the Lender a (hereinafter referred to as ‘Purpose’), and the Lender has sanctioned loan/facility to the Obligor/ has considered to accept the request of the Obligor and to sanction loan/facility to the Obligor.

Whereas the Obligor wishes to avail/ has availed the loan/facility or provide/ has provided security for loan/facility to be availed/ availed by the Obligor or provide/ has provided guarantee to secure the loan/facility availed/to be availed by the Obligor and thus is aware that these “Most Important Terms and Conditions” are signed for the purpose of replacing the existing clause(s) w.r.t. arbitration in the Principal Agreement with the following:

“THE PARTIES HERETO UNCONDITIONALLY AGREE AND ACCEPT THAT, any matters, questions, differences and/or dispute, controversy, or claim arising out of or relating to the Principal Agreement, or the breach thereof shall be resolved through Arbitration Proceedings under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (as amended from time to time). The Parties also irrevocably agree that seat of all/any arbitration proceedings shall be at Jaipur and the Parties have accepted the online mode for conduct of arbitration proceedings. The Parties further agree that the arbitration proceedings shall be conducted online under the aegis of any of the selected arbitral/ ODR (Online Dispute Resolution) institutions mentioned in the Schedule to these MITC. In case the Obligor opts for/ chooses physical arbitration proceedings in place of ODR then they shall opt for the same by sending a

relevant written communication in this regard to the selected ODR institute within 7 days of initiation of online arbitration proceeding, at the decided venue/ seat of arbitration i.e., Jaipur.

The list of arbitral/ODR Institutes has been chosen by the Parties after evaluating the concept, bye laws, process and

methodology adopted by them and the Parties unequivocally agree to follow the same. The award given by the competent arbitrator(s) by the selected Arbitral/ ODR institution under the aegis of such Arbitral/ODR institution(s) shall be final and binding on all Parties to the Principal Agreement.” The Obligor also agrees to sign all other physical/digital documentation including, all such loan/facility agreements including Principal Agreement and other documents as may be prescribed and/or required by the Lender, in its discretion, in relation to availing such a facility/loan at any point of time.

1. जबकि दायित्वकर्ता (Obligor) ऋणदाता से ऋण/सुविधा प्राप्त करना चाहता है या प्राप्त कर चुका है, अथवा दायित्वकर्ता द्वारा लिए जाने वाले/लिए गए ऋण या सुविधा के लिए सुरक्षा प्रदान करना चाहता है या प्रदान कर चुका है, अथवा उक्त ऋण/सुविधा की सुरक्षा हेतु गारंटी देना चाहता है या दे चुका है (जिसे आगे “उद्देश्य” (Purpose) कहा जाएगा), और ऋणदाता ने दायित्वकर्ता को ऋण/सुविधा स्वीकृत कर दी है या दायित्वकर्ता के अनुरोध को स्वीकार कर ऋण/सुविधा स्वीकृत करने पर विचार किया है।

जबकि दायित्वकर्ता ऋण/सुविधा प्राप्त करना चाहता है या प्राप्त कर चुका है, अथवा ऋण/सुविधा के लिए सुरक्षा या गारंटी प्रदान करना चाहता है या प्रदान कर चुका है, और इस कारण वह यह जानता और स्वीकार करता है कि ये “Most Important Terms and Conditions (MITC)” मुख्य अनुबंध (Principal Agreement) में मध्यस्थता (Arbitration) से संबंधित वर्तमान धाराओं को निम्नलिखित प्रावधानों से प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से हस्ताक्षरित किए जा रहे हैं: “पक्षकार बिना किसी शर्त के यह सहमति और स्वीकृति देते हैं कि मुख्य अनुबंध (Principal Agreement) से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी विषय, प्रश्न, मतभेद, विवाद, दावे या अनुबंध के उल्लंघन का समाधान Arbitration and Conciliation Act, 1996 (समय-समय पर संशोधित) के अंतर्गत मध्यस्थता कार्यवाही (Arbitration Proceedings) द्वारा किया जाएगा। पक्षकार यह भी अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं कि सभी/किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान (Seat) जयपुर होगा और पक्षकारों ने मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन हेतु ऑनलाइन माध्यम को स्वीकार किया है।

पक्षकार आगे सहमत हैं कि मध्यस्थता कार्यवाही इन MITC की अनुसूची में उल्लिखित चयनित मध्यस्थता संस्थानों/ODR (Online Dispute Resolution) संस्थानों में से किसी एक के तत्वावधान में ऑनलाइन संचालित की जाएगी।

यदि दायित्वकर्ता ODR के स्थान पर भौतिक (Physical) मध्यस्थता कार्यवाही चुनना चाहता है, तो उसे ऑनलाइन मध्यस्थता कार्यवाही प्रारंभ होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर चयनित ODR संस्थान को इस संबंध में लिखित सूचना भेजनी होगी। ऐसी स्थिति में मध्यस्थता का निर्धारित स्थान/सीट जयपुर ही रहेगा।

मध्यस्थता/ODR संस्थानों की सूची पक्षकारों द्वारा उनकी अवधारणा, उपनियमों (Bye-laws), प्रक्रिया और कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के बाद चुनी गई है, और पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि वे उन्हीं का पालन करेंगे।

चयनित मध्यस्थता/ODR संस्थान के तत्वावधान में सक्षम मध्यस्थ(ों) द्वारा दिया गया निर्णय (Award) मुख्य अनुबंध के सभी पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।” दायित्वकर्ता यह भी सहमत है कि वह समय-समय पर ऋण/सुविधा प्राप्त करने से संबंधित सभी अन्य भौतिक/डिजिटल दस्तावेजों, जिनमें मुख्य अनुबंध (Principal Agreement) तथा ऋण/सुविधा समझौते और ऋणदाता द्वारा अपने विवेकानुसार आवश्यक बताए गए अन्य दस्तावेज शामिल हैं, पर हस्ताक्षर करेगा।

2. Other Terms and Conditions the Other Terms and Conditions of the loan/facility would be governed by the Principal Agreement which shall be physically/digitally executed by Obligor, and the Obligor would be bound by the said Principal Agreement terms and this MITC shall form an integral part of the said Principal Agreement.

अन्य नियम एवं शर्तें (Other Terms and Conditions)

ऋण/सुविधा से संबंधित अन्य सभी नियम एवं शर्तें मुख्य अनुबंध (Principal Agreement) द्वारा नियंत्रित होंगी, जिस पर दायित्वकर्ता (Obligor) द्वारा भौतिक रूप से अथवा डिजिटल माध्यम से हस्ताक्षर किए जाएंगे। दायित्वकर्ता उक्त मुख्य अनुबंध की शर्तों से बाध्य रहेगा तथा ये MITC (Most Important Terms and Conditions) उक्त मुख्य अनुबंध का अभिन्न हिस्सा माने जाएंगे।

Schedule A / अनुसूची – A

1	Exclusive jurisdiction in favour of Court(s) & Tribunal(s) at न्यायालयों एवं अधिकरणों के पक्ष में विशेष अधिकार क्षेत्र (Exclusive Jurisdiction) जयपुर में होगा	Jaipur
2	List of Arbitral Institutions / Online Disputes Resolution platform for resolution of disputes by way of Mediation / Arbitration and conciliation मध्यस्थता / सुलह (Mediation / Arbitration and Conciliation) के माध्यम से विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थता संस्थानों / ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) प्लेटफॉर्म की सूची।	(a) Name: CLRMDR Address: D-871 GROUND FLOOR NEW FRIENDS COLONY NEW DELHI -110025 Contact Details: 9717012845 Emails ID: info@clrmdr.com (b) Name: Resolver Address: D-871 SECOND FLOOR NEW FRIENDS COLONY NEW DELHI -110025 Contact Details: 011-45131430 Email ID: resolver.info@gmail.com (c) Name: Easy Solution Address: G-18/41, Ground Floor, Sector-15, Rohini, New Delhi-110089 Contact Details: 9212710624 Email ID: DJRBCLEGAL18@YAHOO.COM (d) Name: SYNERGY ARBITRATION HUB PRIVATE LIMITED

		Address: C-17, L.G.F, Friends Colony (East), New Delhi-110065 Contact Details: 9999964750 Email ID- admin@synergvarbitration.com
		(e) Name: Nyay 24/7 (Truth Beat Ventures Private Limited) Address: D-126, 2nd Floor, Jan Path, Shyam Nagar, Above Yes Bank, Jaipur, Rajasthan, 302019 Contact Number: 7738357454 Email id: atul.mathur@nyay247.com
3	Seat of arbitration व्यवहार में कानूनी दस्तावेजों में “मध्यस्थता का स्थान” अधिक सामान्य और समझने योग्य है।	Jaipur shall be the seat / venue for Arbitration in the case of proceedings being held physically. In case of hybrid and online disputes resolution proceedings, Jaipur shall be deemed to be the Seat of Arbitration यदि मध्यस्थता की कार्यवाही भौतिक रूप से आयोजित की जाती है, तो जयपुर मध्यस्थता का स्थान / वेन्यू होगा। हाइब्रिड एवं ऑनलाइन विवाद समाधान कार्यवाहियों की स्थिति में भी जयपुर को मध्यस्थता का आधिकारिक स्थान (Seat of Arbitration) माना जाएगा।
4	Preferred language of Arbitral Proceedings मध्यस्थता कार्यवाही की पसंदीदा भाषा।	English
5	Co-ordinates of Borrower(s) / Guarantor(s) for conduct of Arbitration / Mediation proceedings online. ऑनलाइन मध्यस्थता / सुलह कार्यवाही के संचालन हेतु उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) के संपर्क विवरण।	
	Borrower / उधारकर्ता	Registered Mobile No.
		Registered WhatsApp No.
		Registered E-mail ID
	Co-Borrower(1) / सह-उधारकर्ता	Registered Mobile No.
		Registered WhatsApp No.
		Registered E-mail ID
	Co-Borrower(2) / सह-उधारकर्ता	Registered Mobile No.
		Registered WhatsApp No.
		Registered E-mail ID
		Registered Mobile No.

Guarantor(1) / गारंटर	Registered WhatsApp No.
	Registered E-mail ID
Guarantor(2) / गारंटर	Registered Mobile No.
	Registered WhatsApp No.
	Registered E-mail ID

Note:- Borrower(s) and other obligors, if any, undertake to inform bank in writing about any change in the registered mobile number, registered whatsapp number and registered e-mail ID. In case of Borrower(s)'s/ obligors 'failure in communicating any change in the registered mobile number, whatsapp number and e-mail ID to the bank in writing such contact numbers and e-mail ID as on record with the Lender shall continue being the co-ordinates of the respective Party and any communication sent to such co-ordinates shall be treated as a valid service, notwithstanding the contrary/ failed delivery status or report thereof. Proceedings held using such co-ordinates shall be valid and conclusion thereof by way of an order / award shall be binding on the Parties thereto.

टिप्पणी:-

उधारकर्ता(ओं) तथा अन्य दायित्वकर्ताओं (यदि कोई हों) द्वारा यह वचन दिया जाता है कि पंजीकृत मोबाइल नंबर, पंजीकृत व्हाट्सएप नंबर तथा पंजीकृत ई-मेल आईडी में किसी भी परिवर्तन की सूचना वे बैंक को लिखित रूप में देंगे।

यदि उधारकर्ता(ओं) / दायित्वकर्ताओं द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर या ई-मेल आईडी में किसी परिवर्तन की सूचना बैंक को लिखित रूप में नहीं दी जाती है, तो ऋणदाता (Lender) के रिकॉर्ड में उपलब्ध संपर्क नंबर एवं ई-मेल आईडी संबंधित पक्ष के वैध संपर्क विवरण माने जाते रहेंगे।

ऐसे संपर्क विवरणों पर भेजा गया कोई भी संचार/सूचना वैध सेवा (Valid Service) मानी जाएगी, भले ही उसकी डिलीवरी असफल रही हो या उसके संबंध में विपरीत रिपोर्ट प्राप्त हुई हो।

ऐसे संपर्क विवरणों का उपयोग करके आयोजित की गई कार्यवाहियाँ वैध मानी जाएंगी तथा उनसे पारित आदेश / निर्णय (Award) संबंधित सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।